न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ़ (राज.)

बजरिये श्री दिनेश चन्द धाकड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 52 / 2017

उनवान

1. मानीया पिता आसीया जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)

—वादीगण

बनाम

कानजी पिता नाथिया जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
रामला पिता कानजी जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
बापुड़ा पिता कानजी जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
नारायण पिता कानजी जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
विरमल पिता कानजी जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
सुखराम पिता कानजी जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
सीता पत्नि रामला जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)
ज्योति पत्नि बापुड़ा जाति भील, निवासी मोवाईपाड़ा पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला—प्रतापगढ (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,
209 आर. टी. एक्ट.

निर्णय

दिनांकः—04.02.2021

उपस्थितिः— 1. श्री सीताराम भगोरा—वादी अधिवक्ता
2. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान—प्रतिवादी अधिवक्ता

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेदारी की भूमि मौजा ग्राम पीपलखूंट पटवार हल्का पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.) में स्थित हैं, जिसका खाता संख्या 600 नया, 495 पुराना, खसरा नम्बर 4660, 4697, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 4708, 4941, 4942, 4943 रकबा कमशः 1.95, 1.20, 0.56, 1.74, 0.01, 0.19, 0.38, 0.19, 0.42, 0.19, 0.49, 0.01, 0.33 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 6.66 हैक्टेयर हैं। उक्त भूमि पर मैं वादी व मेरे संयुक्त खातेदार अपने बाप दादाओं के समय से उक्त कब्जे काश्त की भूमि पर खेती करते आ रहे हैं तथा समय समय पर राज्य सरकार में लगान जमा करवाते आ रहे हैं। जिसमें प्रतिवादीगण जबरन मुझ वादी के हिस्से की खातेदारी की भूमि में मजामहत व मदखलत कर रहे हैं तथा वादी के निरन्तर काबिज काश्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। दिनांक 20.08.2017 के सुबह करीब 10 बजे के आसपास सभी प्रतिवादीगण हमसलाह होकर सर्वे नंबर 4941, 4942, 4943 क्षेत्रफल कमशः 0.49, 0.01, 0.33 हैक्टेयर भूमि पर अपने सारे पशु लेकर आये और खड़ी फसल को खिलाने लगे

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

4699, 4700, 4701, 4702, 4703 4705, 4707,4708, 4941, 4942, 4943 रकबा कमशः1.95, 1.20, 0.56, 1.74, 0.01, 0.19, 0.38, 0.19 ... 49, 0.01, 0.33 हैक्टर लगान कमशः 3.90 ... 600 नया, 495 पुराना, खसरा नंम्बर 4660, 4697,

Scanned with OKEN Scanner

तब मुझ वादी ने उनके पशुओं को हटाने के लिये कहा परन्तु वह सभी बात मानने को तैयार नही और उल्टा मुझे वह धमकाने लगे की उक्त भूमि तो हमारी हैं। आज के बाद इस पर हम काश्त करेंगे और यदि तुने कोई विरोध किया तो तुझे औरतों के झुठे केस में फसा कर जेल भेज देंगे। उनका विरोध करने ही वाला था की प्रतिवादीगण मुझ वादी के साथ मारपीट करने के लिये दौड़े परन्तु पास के खेतों में उपस्थित काश्तकारों ने प्रतिवादीगण से मुझ वादी को छुड़वाया नही तो वह मुझे जान से मार ही देते। उक्त भूमि पर मैं वादी लगभग 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूं इसलिये उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिवादीगणों को वर्णित आराजी में कब्जा करने से रोका जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें एवं मुकदमा खर्च प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादपत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कों जरिये समन तलब किया गया। तलब किए जाने पर अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि वाद की संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार हैं एवं प्रतिवादी द्वारा आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। विशेष कथन में कहा कि वादीगण द्वारा जो वाद पेश किया हैं वह गलत हैं। अतः वादी गण का वाद खारिज किया जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विवादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–::आदेश::–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पीपलखूंट पटवार हल्का पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.) जिसका खाता संख्या 600 नया, 495 पुराना, खसरा नम्बर 4660, 4697, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4705, 4707, 4708, 4941, 4942, 4943 रकबा क्रमशः 1.95, 1.20, 0.56, 1.74, 0.01, 0.19, 0.38, 0.19, 0.42, 0.19, 0.49, 0.01, 0.33 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 6.66 हैक्टेयर भूमि के लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी की उक्त आराजी में जबरन कब्जा न करें। डिक्री पर्चा कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश चन्द धाकड RAS)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूँट
जिला–प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

600 नया, 495 पुराना, खसरा नम्बर 4660, 4697, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703 4705, 4707,4708, 4941, 4942, 4943 रकबा क्रमशः1.95, 1.20, 0.56, 1.74, 0.01, 0.19, 0.38, 0.19, 0.420.19, 0
49, 0.01, 0.33 हैक्टर लगान क्रमशः

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी... पीपलखूंट

मांगीया बनाम कानजी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र- 188, 209 RTA 52/2017	नम्बर व अहकाम की तामील
27.1.21	पत्रा. पेश हुई वकील वादी एवं प्रतिवादी उप. | पत्रा. मे वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई | मि. वास्ते आदेश दिनांक 4.2.21 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	